SC 43/2018

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर अहकाम हुक्म में |
|---|---|---|
| 18/9/2025 | अवलोकन किया। इस मुलजिम हाजी अब्दुल हमीद अधिवक्ता पेश हुए श्री मान के लिये बहस सुनी गयी। इस मामले में बयान दफा 313 दं.प्र.सं. के बाद मुलजिम के बयान में सेक्शन 164 दं.प्र.सं. के बयान दर्ज किये गये। अभियोजन द्वारा चार्ज में शामिल धारा नहीं लगाई गई है। 164 दं.प्र.सं. को धारा 313 दं.प्र.सं. में बयान दर्ज करने की तरह ही साक्ष्य में महत्व दिया जाता है। प्रकाश लक्ष्मी पनीवाला बनाम 1.6 ई. (आर.) 1 सुप्रीम कोर्ट में बहस सुनी गयी। इस मुलजिम को धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत अभियोजन दिनांक 17/10/2025 को पेश करें।<br><br>विशिष्ठ न्यायाधीश<br>एन०डी०पी०एस०एक्ट बून्दी (राज०) | |